न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारीः– राजेन्द्र सिंह, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 85/16

1. कर्णजीत सिंह पुत्र इन्द्रपाल सिंह जाति कश्मीरी ब्राहमण निवासी 8 एनपी हाल 25 एनपी तहसील रायसिंहनगर उम्र 14 वर्ष नाबालिग बजरिये कुदरती माता राजेन्द्र कौर पत्नी इन्द्रपाल सिंह जाति कश्मीरी ब्राहमण निवासी 8 एनपी हाल 25 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. राजेन्द्र कौर पत्नी इन्द्रपाल सिंह जाति कश्मीरी ब्राहमण निवासी 8 एनपी हाल 25 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर उम्र 38 वर्ष

–प्रार्थीगण

बनाम

1. इन्द्रपाल सिंह पुत्र गुरबक्श सिंह जाति कश्मीरी ब्राहम्ण सिख निवासी 8 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. महेन्द्र कौर पत्नी गुरबक्श सिंह जाति कश्मीरी ब्राहम्ण सिख निवासी 8 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
3. पपिन्द्र सिंह पुत्र इन्द्रपाल सिंह पुत्र गुरबक्श सिंह जाति कश्मीरी ब्राहमण निवासी 8 एनपी नाबालिग उम्र 16 वर्ष जरिये पिता संरक्षक इन्द्रपाल सिंह जाति कश्मीरी ब्राहम्ण सिख निवासी 8 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्त.अधिनियम

उपस्थितिः–

1. श्री पी.एस.मेहरा वकील प्रार्थीगण
2. श्री एच.एस.सुदन वकील अप्रार्थीगण

निर्णय   दिनांकः– 20/11/19

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्त.अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 5 एमएसडी तहसील रायसिंहनगर का खाता सं. 48 मु.नं. 31 पं.नं. 157/342 में कुल 6.058 है0 नहरी रकबा खातेदारी है वा अप्रार्थी सं. 2 के नाम से वाके चक 15 एनपी तहसील रायसिंहनगर का खाता सं. 44 में दर्ज मुरब्बा नं. 12 पं.नं. 164/328 की 3.100 है0 नहरी खातेदारी भूमि को किसी भी प्रकार से किसी अन्य को रहन बैय एवं हस्तान्तरण आदि करने से बाज व ममनू रहे तथा ऐसा कोई कृत्य नही करे जिससे प्रार्थी सं. 1 उक्त भूमि में अपने हक एवं हिस्सा की भूमि से वंचित वा बेदखल होता हो।

प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 ता 3 की ओर से श्री एच.एस सुदन अधिवक्ता ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया। उक्त विवादित भूमि अप्रार्थी सं. 2 की स्वयं खरीदशुद्धा भूमि है। उक्त भूमि पैतृक सम्पति नही है। अप्रार्थी सं. 2 को आवंटित भूमि किसी भी प्रकार से मृतक गुरबक्श सिंह के सयुक्त हिन्दु कुटम्ब की सहदायीकी की श्रेणी में नही आती है। अप्रार्थी सं. 2 को अपनी उक्त भूमि बेचने व हस्तान्तरण करने का विधिक व पूर्ण अधिकार है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावे।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वाद ग्रस्त भूमि के संबंध में मूल वाद के निर्णय तक स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। वकील अप्रार्थीगण ने बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी सं. 2 अकेली को आवंटित है। जो संयुक्त कुटुम्ब की सहदायिकी संम्पति नही है। इसलिए प्रार्थी इस भूमि में कोई हक व हिस्सा प्राप्त करने

(राजेन्द्र सिंह)
उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner

का अधिकारी नही है। इसलिए पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे।

बहस पक्षकारान पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। विवादित भूमि अप्रार्थी सं. 2 की स्वःअर्जित भूमि है। जो पैतृक सम्पति में नही आती है। उक्त विवादित भूमि अप्रार्थी सं. 2 की खातेदारी दर्ज है। अप्रार्थी सं. 2 ने उक्त भूमि की वसीयत अपने पौते अप्रार्थी सं. 3 पपिन्द्र सिंह के पक्ष में की है। जो रजिस्टर्ड वसीयत है। विवादित भूमि अप्रार्थी सं. 2 की खातेदारी भूमि है। जो स्वःअर्जित है। जिसकी खिलाफ स्थगन आदेश न्यायोचित नही है। इस प्रकरण में किसी का हक तय नही किया जाना है। जो कि मुल वाद में दोनो पक्षों के साक्ष्य लिये जाकर ही मैरिट के आधार पर तय किया जाना है। फिलहाल स्थगन प्रार्थना–पत्र का ही निस्तारण किया जाना है। सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में न होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में है। ऐसी स्थिति में अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को न होकर अप्रार्थीगण को होगी। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित नही है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है। पूर्व में दिनांक 10.06.2016 को जारी स्थगन आदेश को भी खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29/11/19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह)
उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh
Date: 2019.12.10 15:56:47 IST
Reason: SelfAttested
Location: